IJAER/ March-April 2024/Volume-13/Issue-2 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research
(Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal) Impact Factor:7.06

आधुनिक युग में राजस्थान के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

Sunil Sheoran

Research Scholar, Dr. K. N. Modi University, Newai, Rajasthan

Dr. Meena

Associate professor, Dr. K. N. Modi University, Newai, Rajasthan

सार

राजस्थान में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में आधुनिक युग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो व्यापक सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तनों और लैंगिक समानता में प्रगति को दर्शाती है। ऐतिहासिक रूप से, राजस्थान का राजनीतिक परिदृश्य, भारत के अधिकांश हिस्सों की तरह, पारंपरिक पितृसत्तात्मक मानदंडों और महिलाओं के लिए शिक्षा और आर्थिक संसाधनों तक सीमित पहुँच के कारण मुख्य रूप से पुरुष-प्रधान था। हालाँकि, हाल के दशकों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इस बदलाव के प्रमुख चालकों में 73 वें और 74 वें संवैधानिक संशोधन जैसे विधायी उपाय शामिल हैं, जिन्होंने स्थानीय शासन निकायों (पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों) में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया। इन आरक्षणों ने महिलाओं को राजनीति में प्रवेश करने और भाग लेने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया है, जिससे जमीनी स्तर पर सत्ता के पदों पर आसीन महिलाओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

मुख्यशब्दः *राजस्थानी महिलाओं, राजनीति, बढ़ती भागीदारी, समकालीन युग*

प्रस्तावना

लोकतंत्र सभी व्यक्तियों पर समान आधार पर लागू होता है। भारत में, सभी नागरिकों को, उनकी पृष्ठभूमि और श्रेणियों के बावजूद, कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जो उन्हें राष्ट्र के विकास में प्रभावी योगदान देने में सक्षम बनाते हैं। महिलाओं को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से बाहर रखा गया है और उनके साथ हर समाज में भेदभाव किया जाता है। अमीर उच्च जाति के परिवारों की तुलना में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार अधिक है। महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी से भी बाहर रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि सच्ची लोकतांत्रिक भावना की प्राप्ति के लिए महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक भागीदारी में महिलाओं के साथ समान व्यवहार का प्रावधान करना सार्थक और प्रभावी माना जाता है और इसकी शुरुआत जमीनी स्तर से होनी चाहिए I

राजनीतिक क्षेत्र में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए महिलाओं के लिए जागरूकता पैदा करना और विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में सूचनात्मक होना महत्वपूर्ण है। अच्छा निर्णय लेना, उन क्षेत्रों का विश्लेपण करना, समुदायों और राष्ट्र की भलाई को बढ़ावा देने की दिशा में उनकी सर्वोत्तम क्षमताओं के लिए काम करना शामिल है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का एक उद्देश्य इस उद्देश्य की पूर्ति करना है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के कारण भारत में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो गया है। संशोधन ग्रामीण इलाकों में जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक संस्थानों में महिलाओं के अध्यक्षों के लिए सीटों और पदों के आरक्षण का

प्रावधान करता है, जिन्हें पंचायत कहा जाता है। ग्रामीण भारत में राजनीतिक प्रक्रिया पर दूरगामी आक्षेपों और महत्वपूर्ण परिणामों के संदर्भ में इसे ऐतिहासिक कदम माना जाता है (अध्याय III, n.d.) । समग्र रूप से समुदायों और राष्ट्र के प्रचालनात्मक विकास के लिए महिलाओं के लिए अपनी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना आवश्यक है।

भारत में महिलाओं की राजनीतिक भूमिका का अर्थ है। कि निर्वाचन में मतदाता एवं प्रत्याशी के रूप में सहभागिता से लेकर सत्ता में महिलाओं की भागीदारी से है । मताधिकार की प्रक्रिया से निर्णय - निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। जो कि यही राजनीतिक सहभागिता है । किन्तु वर्तमान में लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण के कारण राजनीतिक सहभागिता मान मतदान एवं राजनीतिक सक्रियता तक सीमित नही हैं, बल्कि राजनीतिक सत्ता में भागीदारी से भी जुड गयी है। सत्ता में भागीदारी होने का अर्थ है कि शक्ति प्राप्त करना और बैध शक्ति (सत्ता) ही वह प्रमुख प्रक्रिया है जो समाज की अन्य उपव्यस्थाओं एवं संरचनाओं को निर्देशित संचालित एवं प्रभावित करती है। इसलिए राजनीति में महिलाओं की भूमिका एक महत्वपूर्ण मांग बन गई है।

राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण

वर्तमान अस्तित्व में, महिलाओं के बीच सशक्तिकरण के अवसरों को लाना एक प्रमुख चिंता का विषय माना जाता है। यह विशेष रूप से समाज के वंचित, हाशिए पर और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित महिलाओं के लिए चिंता का विषय है। इसका अनिवार्य रूप से अर्थ है सत्ता और शक्ति का विकेंद्रीकरण। इसका उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में समाज के वंचित वर्गों की भागीदारी प्राप्त करना है। दूसरे शब्दों में, यह व्यक्तियों को स्वयं के साथ-साथ अन्य चिंताओं के संदर्भ में बोलने का अवसर देने का एक तरीका है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि सरकार विधायी उपायों और कल्याणकारी कार्यक्रमों द्वारा लोगों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाए । सशक्तिकरण को उस प्रक्रिया के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसके द्वारा अशक्त या शक्तिहीन व्यक्ति परिस्थितियों में परिवर्तन ला सकते हैं और अपने जीवन पर नियंत्रण रख सकते हैं। इसका परिणाम जीवन स्थितियों में शक्ति संतुलन में परिवर्तन के साथ-साथ दूसरों के साथ प्रभावी नियम और संबंध बनाए रखने में होता है (फादिया, 2014)।

राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पहलुओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, महिलाओं को समान दर्जा देना, उन्हें अधिकारों और अवसरों का प्रावधान करना, विशेष रूप से उनकी आजीविका के अवसरों को समृद्ध करना, जैसे, शिक्षा का प्रावधान करना और उन्हें रोजगार सेटिंग्स में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें अपने निर्णय लेने और विभिन्न कार्यों और गतिविधियों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम होना चाहिए, जैसे कि घरेलू प्रबंधन, बाल विकास, स्वास्थ्य देखभाल आदि । भारत में, उपाय और कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। ताकि वे बाहर जा सकें और विभिन्न कार्यों और गतिविधियों में भाग ले सकें। इनमें सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक शामिल हैं। सशक्तिकरण के अवसर प्राप्त करने के लिए महिलाओं के लिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध और संबंध बनाए रखना और उनकी सहमति और सहायता प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। किसी भी कार्य या गतिविधियों में संलग्न होने पर परिवार के सदस्यों का समर्थन महत्वपूर्ण है। यह ग्रामीण समुदायों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जब लड़कियों और महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने या विभिन्न अन्य कार्यों और गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है । वे घर के भीतर ही सीमित हैं और घरेलू जिम्मेदारियों के संदर्भ में उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है।

राजस्थान में महिलाओं की राजनीतिक चेतना एवं सहभागिता

आधुनिक शिक्षा का समुचित प्रचार-प्रसार नहीं होने के कारण राजस्थान की महिलाओं को पिछड़ेपन के लिए विज्ञापित किया गया है लेकिन इसके बाबजूद इतिहास ने उन्हें जाग्रत महिला के रूप में स्थापित किया है। राजस्थान ने ही रानी कर्मवती, पद्मिनी, हाड़ा रानी जैसी वीरागनाएं, मीरा, बांकावती, ब्रजकुंवरी जैसी विदुषी और चौहान रानी झालन देवी व रानी सौमल देवी जैसी प्रशासनिक महिलाएं दी हैं ।

19वीं सदी के उत्तरार्द्ध तक परिस्थितिजन्य ज्ञान से परिचित होकर महिलाओं के शोषण के विरूद्ध संघर्ष के लिए प्रेरक शक्ति बनने लगी । शोषण के विरूद्ध संघर्ष में अपनी-अपनी प्रत्यक्ष भूमिका का निर्धारण करना महिलाओं के लिए सहज कार्य नहीं था । आंदोलन, जुलूस, गिरफ्तारियाँ आदि देने के लिए उन्हें कई स्तरों पर संघर्ष करना पड़ा ।

राजनीतिक तौर पर उन्हें राजा, सामन्त तथा ब्रिटिश सत्ता से तिहरा संघर्ष करना था, दूसरी ओर सामाजिक व आर्थिक तंत्र से संघर्ष था । मध्यकाल में वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित शिक्षा के अभाव में प्रदेश अन्धविश्वास और कुरीतियों से जकड़ा हुआ था । राजस्थान भी इससे अछूता नहीं था । पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं की अपमानजनक स्थिति, सामन्तों की व्याभिचारिता का शिकार महिलाएं एवं आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं को डाकिन घोषित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना, यहां तक कि उन्हें जिंदा जला देना आम बात थीं । ऐसे अंधकारपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवेश में स्वतंत्रता रूपी भावनाओं की किरणों का प्रवेश भी एक उपलब्धि होती है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। राजपूताना में स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने में अन्य मार्गों के समान आधुनिक शिक्षा पद्धति तो थीं ही लेकिन आर्थिक तत्वों ने प्रारम्भ से ही अधिक प्रभावित किया । आधुनिक शिक्षा का प्रारम्भ शहरी क्षेत्र से हुआ और राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन देश के अन्य क्षेत्रों के विपरीत ग्रामीण व कृषक वर्ग से प्रारम्भ हुआ अर्थात् सर्वहारा वर्ग/श्रमिक वर्ग ही स्वतंत्रता संघर्ष का अगुवा बनें। बिगड़ती हुई वर्ग-व्यवस्था के समीकरण ने उन्हें संघर्ष हेतु प्रेरित किया। बढ़ती हुई लाग-बाग (लगान, बेगार) से किसान परेशान थें। राजपूताना उस समय मुख्यतः दो वर्गों में विभक्त था । एक- उच्च वर्ग, जिसमें शासन व सम्पन्न वर्ग था। दूसरा निम्न वर्ग, जिसमें काश्तकार या खेतीहर किसान व अन्य श्रमिक वर्ग था । ब्रिटिश नीतियों के कारण कृषि पर आधारित जनसंख्या का भार बढ़ गया था । यह वृद्धि जनसंख्या वृद्धि के कारण नहीं हुई थीं, इसका मुख्य कारण अन्य विभिन्न जातियों के लोगों का कृषि की ओर आकर्षित होना था जिसके परिणामस्वरूप पहले सामन्तों और राजाओं को किसानों के मध्य पारिवारिक व सम्मानजनक सम्बन्ध थें, वह अब समाप्त होने लगे।

राजस्थान में महिलाओं की राजनीतिक चेतना

19वी - 20वीं शताब्दी की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित और प्रेरित होकर राजस्थान में राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियाँ प्रारम्भ हुई । उल्लेखनीय है कि राजस्थान में केन्द्रशासित प्रदेश अजमेर के अलावा 19 देशी रियासतें थी । इन रियासतों में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा में गुहिल, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ में राठौड़, कोटा-बूंदी में हाड़ा - चौहान, सिरोही में देवड़ा चौहान, जयपुर और अलवर में कछवाह, जैसलमेर और करौली में यदुवंशी, झालावाड़ में झाला राजपूत, टोंक में मुसलमान, भरतपुर और धौलपुर राज्य में जाट राज्य विद्यमान थे। राष्ट्रीय आंदोलन में नारी को सक्रिय करने में गाँधीजी को भी महत्ती सफलता प्राप्त हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जितनी बड़ी संख्या में समाज के विविध वर्गों की स्त्रियों ने भाग लिया। इससे राजनीतिक संघर्ष का अनुमान लगाया जा सकता है। इस संबंध में गाँधीजी ने कहा कि जेल में स्त्रियों की सक्रियता की खबर सुनकर सभी सत्याग्रही रोमांचित हो उठे । राजस्थान में इस क्षेत्र में गतिवधियाँ और सक्रियता निरन्तर चली रही ।

राजस्थान में राजनीतिक चेतना एवं महिलाओं की इसमें सक्रियता को प्रजामण्डलों एवं अन्य राजनीतिक संस्थाओं ने अत्यधिक प्रभावी बनाया। इस क्षेत्र में बने संगठन मारवाड़ लोक परिषद् 1928, 24 अप्रैल, 1938 को मेवाड़ प्रजामण्डल, 1931 में जयपुर प्रजामण्डल की स्थापना, 1931 में कोटा प्रजामण्डल, 1938 में अलवर प्रजामण्डल, 1938 में शाहपुरा प्रजामण्डल एवं भरतपुर प्रजामण्डल की स्थापना भरतपुर के बाहर रेवाड़ी में की गई । उल्लेखनीय है कि प्रजामण्डल आंदोलन रियासतों में अखिल भारतीय कांग्रेस के पूरक आंदोलन के रूप में चलाया गया था। इसमें स्त्रियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया, भाग लेने वाली स्त्रियों में श्रीमती विमला देवी चौधरी, भगवती देवी, रतन शास्त्री, जानकी देवी, गीता बजाज, महिमा देवी किंकर, नारायणी देवी वर्मा, रानी देवी, रजिया तहसीन, सुशीला देवी, कमला जैन, तारा बहन, सुकीर्ति देवी, दुर्गा देवी, रामप्यारी देवी, नगेन्द्र बाला, गंगा बाई, कमला स्वाधीन, किशोरी देवी, बीर वाला भावसार, नारायणी देवी, अंजना देवी आदि प्रमुख रहीं ।

उद्देश्य

1. भारत में विवाह और रोजगार जैसे अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं।
2. जमीनी स्तर पर निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी में सुधार करना है।

साहित्य की समीक्षा

मोहम्मद जावेद खान (2022) भारत में, प्रगति हो रही है और वैश्वीकरण के आगमन के साथ, राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी उन्हें उन समस्याओं और चुनौतियों की एक कुशल समझ हासिल करने में सक्षम बनाती है, जिन्हें देश को प्रगति की ओर ले जाने के कार्य करेगा। जब महिलाएं राजनीतिक भागीदारी में महत्वपूर्ण योगदान देती है, तो उनके लिए आवश्यक कौशल और क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्हें समग्र रूप से समुदाय और राष्ट्र की भलाई को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों और दृष्टिकोणों के बारे में पता होना चाहिए। इस शोध पत्र में मुख्य क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया है, राजनीतिक भागीदारी का अर्थ और महत्व, राजनीति में महिलाओं की भागीदारीरू ऐतिहासिक ढांचा, राजनीतिक भागीदारी के तरीके, राजनीतिक भागीदारी के चर, माप की रूपरेखा, राजनीतिक के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण भागीदारी और सिफारिशें इनमें शामिल है।

सुनील महावर (2013) 'भारत में महिला सशक्तिकरण विविध आयाम और चुनौतिया' प्रस्तुत पुस्तक में लेखक द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं महिला विकास से संबंधित सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों के संवर्ग में अध्ययन किया किया गया है साथ ही भारत में महिलाओं के अधिकार एवं संबंधित कानूनों का वर्णन करते हुऐ महिला सशक्तिकरण का विस्तृत विवेचन किया है ।

डॉ. निर्मला सिंह, डॉ. विनीता कुमारी (2012) ने अपनी पुस्तक "राजस्थान में पंचायतीराज एवं महिला सशक्तिकरण" प्रस्तुत पुस्तक में राजस्थान जो पंचायती राज की प्रथम प्रयोगशाला को जाता है में महिलाओं की राजनीति में बढ़ती भागीदारिता एवं राजनीतिक सक्रियता का विवेचन एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया है। राजस्थान में पंचायतीराज के तहत महिला भागीदारिता एवं इससे हुए महिला सशक्तिकरण एवं सबलीकरण पर बल दिया गया है।

उमेश प्रताप सिंह एवं राजेश कुमार गर्ग ने (2012) 'महिला सशक्तिकरण विभिन्न आयाम' में महिला सशक्तिकरण के ऊपर प्रकाश डाला है। महिला सशक्तिकरण की वर्तमान में प्रासंगिकता को बताते हुऐ आज के युग में महिला

किस प्रकार सशक्त हो रही है का विवेचन किया है तथा बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार महिला अपने अस्तित्व की पहचान कर रही है।

डॉ० ममता गर्ग ने (2012) ' जनजातीय महिला सशक्तिकरण' में जनजातीय महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति पर प्रकाश डाला है तथा स्पष्ट किया हैं कि किस प्रकार अनुसूचित जनजाति एवं गैर अनुसूचित जनजाति की महिलाओं पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है ।

आशा व्यास ने (2012) पंचायती राज में महिलाऐं ' में लेखिका ने इस पुस्तक के माध्यम से बताया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था एक महत्वपूर्ण इकाई है, जो राष्ट्र के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। चूंकि महिलाएं आधे समाज का प्रतिनिधित्व करती है इसलिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा महिलाओं को आरक्षण दिया गया । महिलाऐं सशक्त होकर राष्ट्र एवं समाज के विकास में उनकी महत्वपूर्ण समान एवं सक्रिय भूमिका अपेक्षित है ।

डॉ. संगीता विजय (2011) ने अपनी पुस्तक "महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एक तुलनात्मक अध्ययन" में लेखिका ने महिला राजनीतिक सहभागिता के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य का विवेचन किया गया है । भारत संघ के राजस्थान राज्य के विकसित एवं पिछडे जिलों की महिलाओं की मतदाता एवं प्रतिनिधि के रूप में राजनीतिक जागरूकता, अभिमुखीकरण, राजनीति के प्रति अनुक्रियाएँ, अभिमत एवं राजनीतिक सहभागिता का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है ।

बी.सी., नरूला (2011) 'पंचायती राज व्यवस्था प्रस्तुत पुस्तक में पंचायती राज व्यवस्था के गठन, विकास, चुनौतियों तथा पंचायती राज के अधिकार एवं कर्त्तव्य के साथ-साथ उन तमाम मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है, जिनमें पंचायती राज अधिनियम भी संलग्न है ।

डॉ. गायत्री, शक्तावत (2011), "महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं पंचायती राज व्यवस्था एक अवधारणात्मक विवेचन " प्रस्तुत पुस्तक में लेखिका ने 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हुआ तथा बड़ी संख्या में महिलाओं ने स्थानीय राजनीति में प्रवेश किया। लेखिका ने महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक स्थिति को प्रस्तुत करते हुए पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण किया है ।

निष्कर्ष

आधुनिक युग में राजस्थान की राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी राज्य के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी बदलाव का संकेत देती है। यह विकास नीतिगत हस्तक्षेप, शैक्षिक उन्नति और लैंगिक समानता के बारे में बढ़ती जागरूकता सहित कई कारकों से प्रेरित है। स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण और विभिन्न राज्य-स्तरीय पहलों जैसी नीतियों ने महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने और आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान किया है। शिक्षा ने इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, महिलाओं को राजनीति में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाया है। महिलाओं के बीच शैक्षिक स्तर में वृद्धि ने राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि के साथ सहसंबंधित किया है, क्योंकि अब अधिक महिलाएं नीति-निर्माण प्रक्रियाओं में शामिल होने और अपने समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सुसज्जित हैं।

सन्दर्भ

[1] ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2012, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, स्विटजरलैंड, पेज 16

[2] भारत सरकार। "भारत का संविधान"। विधि एवं न्याय मंत्रालय। 22 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।

[3] "भारत का संविधान|विधायी विभाग | विधि एवं न्याय मंत्रालय | भारत सरकार"। legislative.gov.in। 2023-02-20 को पुनःप्राप्त।

[4] भारत का संविधान। "राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत"। भारत सरकार। 22 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।

[5] ए बी प्रवीण, राय (14 जनवरी 2011)। "भारत में महिलाओं की चुनावी भागीदारी: प्रमुख निर्धारक और बाधाएं"। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक। XVIII (3): 47–55।

[6] मिथरा, एच.एन. (2009)। भारत सरकार अधिनियम 1919 इसके अंतर्गत नियम और सरकार की रिपोर्ट 1920, आईएसबीएन 978-1-113-74177-6

[7] मुख्य निर्वाचन अधिकारी। "विभिन्न लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत"। उत्तराखंड सरकार, भारत। 22 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।

[8] ए बी रुक्मिणी, एस (3 दिसंबर 2013)। "मतदाता मतदान में वृद्धि के पीछे कौन है?"। द हिंदू। 22 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।

[9] भारत का चुनाव आयोग। "मतदाता सूची डेटा - 2013" (पीडीएफ)। 22 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।

[10] रुक्मिणी, एस (7 नवंबर 2013)। "महिला मतदाता मतदान में वृद्धि, 50 वर्षों की बड़ी कहानी"। द हिंदू। 22 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।

[11] टेंभेकर, चित्तरंजन (8 मार्च, 2014)। "चुनाव आयोग फोटो मतदाता पर्ची देगा"। टाइम्स ऑफ इंडिया। 28 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।

[12] राउत, अक्षय। "चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी"। भारत का चुनाव आयोग। 22 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।

[13] ए बी आम चुनाव 2014 में राज्यवार मतदाता मतदान भारत सरकार (2014)

[14] "17वीं लोकसभा में महिलाओं की शक्ति अधिक देखने को मिलेगी"। डेली पायनियर। 25 मई 2019। 6 सितंबर 2019 को पुनःप्राप्त।

[15] संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। "लैंगिक असमानता सूचकांक"। मानव विकास सूचकांक: एक सांख्यिकीय अद्यतन 2012। 22 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।

[16] वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2013, विश्व आर्थिक मंच, स्विट्जरलैंड, तालिका 3बी और 5, पृष्ठ 13 और 19

[17] ए बी राय, एम. शिरीन। "दक्षिण एशिया में आरक्षित सीटें: एक क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य"। संसद में महिलाएँ: संख्याओं से परे। {{उद्धरण वेब}}: गुम या खाली |url= (सहायता)

[18] पीआरएस विधान अनुसंधान। "महिला आरक्षण विधेयक [संविधान (108वाँ संशोधन) विधेयक, 2008]"। PRSIndia.org। 22 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।

[19] रमन, वसंती। "महिलाओं के लिए कोटा का कार्यान्वयन: भारतीय अनुभव" (पीडीएफ)। महिला विकास अध्ययन केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान।

[20] पंचायती राज मंत्रालय। "पंचायतों में महिला आरक्षण"। प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार। 22 मार्च 2014 को पुनःप्राप्त।

[21] कौल, शशि; श्रद्धा साहनी (2009)। "पंचायती राज संस्था में महिलाओं की भागीदारी पर अध्ययन"। गृह और सामुदायिक विज्ञान पर अध्ययन। 3 (1): 29–38. doi:10.1080/09737189.2009.11885273. S2CID 39386599.

[22] डीनिंगर, क्लॉस; हरि के. नागराजन (2011). "क्या राजनीतिक आरक्षण महिलाओं को सशक्त बना सकता है और आर्थिक परिणामों को प्रभावित कर सकता है? ग्रामीण भारत से साक्ष्य" (पीडीएफ). नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च. 4.